रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63] दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 16, 2013/चैत्र 26, 1935 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 11
No. 63] DELHI, TUESDAY, APRIL 16, 2013/CHAITRA 26, 1935 [N.C.T.D. No. 11

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 अप्रैल, 2013

सं. फा. 7(453)/नीति/वैट/2013/पार्ट-2/88-98.— मैं प्रशात गोयल, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, दिल्ली, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 19 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश करता हूँ कि 30 जून, 2013 तक, ऐसे व्यापारियों को, जो कि विभाग के सम्मुख पंजीकरण के लिये ऑन-लाइन आवेदन करते हैं, कोई प्रतिभूति प्रस्तुत करनी आवश्यक नहीं होगी। तथापि ऐसे व्यापारी जो कि हस्तचालन द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें सामान्य तौर पर निर्धारित प्रतिभूति प्रस्तुत करनी होगी।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी।

प्रशान्त गोयल, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

NOTIFICATION

Delhi, the 16th April, 2013

No. F. 7(453)/Policy/VAT/2013/Pt.-II/88-98.— I, Prashant Goyal, Commissioner, Value Added Tax, Delhi, in exercise of the powers conferred on me by sub-section (1) of section 19 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 hereby direct that no security would be required to be furnished by such dealers, who apply online for registration with the Department up to the 30th of June, 2013 . However the dealers, who apply for registration manually, shall furnish the presecribed security, in the usual manner.

This notification shall come into force with immediate effect.

PRASHANT GOYAL, Commissioner, Value Added Tax

पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 अप्रैल, 2013

फा. सं. आर 1003/टीओ(एस)/टीसी-फिलिंग/2012-13/311-320.— जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है,

अत: अब दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली एमआरटीएस प्रयोजना, तृतीय चरण के निर्माण हेतु नीचे दिये गये विवरण के अनुसार 12.74 हैक्टेयर क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के उपबंधों से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है ।

क्रम सं.	स्थान	क्षेत्र का विस्तार (हैक्ट.)	हटाये/लगाये जाने वाले अपेक्षित वृक्षों की संख्या	अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
1.	दिल्ली एम.आर.टी. एस. तृतीय चरण के कॉरिडोर के निर्माण हेतु आर. के. पुरम से कालकाजी तक बाहरी रिंग रोड	12.74	2118	21180
		कुल	**2118**	

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

(क) आवेदक को पाँच वर्ष की अवधि के लिये पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 6,84,96,120/ रुपये (छह करोड़ चौरासी लाख छियानवें हजार एक सौ बीस रुपये मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी ।

परियोजना संख्या	लगाये जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाएं
1.	21180	6,84,96,120 रुपये	उप-वन संरक्षक (दक्षिण)

(ख) आया नगर रिज क्षेत्र की वन भूमि में प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा तथा उनका पाँच वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा ।

(ग) उप-वन संरक्षक के परामर्श से वृक्षों को काटे जाने के पश्चात् प्राप्त लकड़ी दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा दिल्ली नगर निगम के संबंधित कर्मचारियों को सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाए ।

(घ) वृक्ष काटे जाने के स्थल से लकड़ी ले जाने से पूर्व उक्त लकड़ियों की ढुलाई के लिये वृक्ष अधिकारी (पश्चिम) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव कुमार, सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 16th April, 2013

F. No. R 1003/TO(S)/TC-Felling/12-13/311-320.— Whereas the Government of National Capital Territory of Delhi considers it necessary to do so in the public interst,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby exempts an area of total 12.74 ha. as detailed below for construction of Delhi MRTS Project, Phase-III from the provision of Sub-Section (3) of Section 9 of the said Act

Sl. No.	Location	Extent of Area (ha.)	No. of trees required to be removed/ transplanted	Compensatory plantation required (No. of trees)
1	Outer Ring Road from R.K.Puram to Kalkaji for the construction of MRTS Corridor of Delhi, Phase-III	12.74	2118	21180
		Total	**2118**	

The exemption is subject to fulfillment of the following conditions:

(a) The applicant shall make an advance deposit of an amount of Rs.6,84,96,120/-(Rupees Six Crore Eighty Four Lakh Ninety Six Thousand One Hundred Twenty Only) for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of 5 (five) years as follows:

Project No.	No. of Saplings to be Planted (No. of trees)	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.)	To be Deposited with Forest Division
I	21180	6,84,96,120/-	DCF (South)

(b) The compensatory plantation will be raised and maintained for 5 (five) years in the Forest land at Ayanagar Ridge Area.

(c) The wood obtained on removal of trees shall be handed over by the DMRC to the officials concerned of MCD for its use on public crematoria in Delhi in consultation with the territorial DCFs.

(d) Before shifting of wood from site of removal of trees, transportation permission for transportation of the said wood shall be obtained from Tree Officer (West).

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SANJIV KUMAR, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.